ए.

राजबीर सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2152)

बी.

24 अगस्त, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302-कथित जहर देकर मौत-परिवेशी साक्ष्य-अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-1-मुखबिर की पत्नी की मृत्यु अपीलार्थी से लाए गए दूध का सेवन करने के बाद हुई, जो पड़ोस में रहती थी और डेयरी फार्म का व्यवसाय करती थी और दूध बेचती थी-अपीलार्थी ने यू/एस को दोषी ठहराया।302 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःवर्तमान मामले में, साक्ष्य की श्रृंखला में कई लापता और कमजोर संबंध हैं-परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जहर देने के मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए आवश्यक तत्वों में से कोई भी नहीं बनाया गया है-अभियोजन ने उचित संदेह से परे आरोप स्थापित नहीं किया है ताकि दोषसिद्धि दर्ज की जा सके।302 – यह अपराध को घर लाने में विफल रहा है-दोनों अवर न्यायालयों ने दोषसिद्धि दर्ज करने में त्रुटि की-अपीलार्थी ने संदेह का लाभ बढ़ाया-उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के फैसलों को अपास्त करना दिया-अपीलार्थी को बरी कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

आपराधिक कानून-जहर का मामला-परिवेशी साक्ष्य

– शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम राज्य में निर्धारित सिद्धांत

महाराष्ट्र ने आयोजित होने की सूचना दी:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, शरद बर्डहिचंद मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पांच सुनहरे सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और अभी भी उनका पालन किया जाता है-जहर देने के मामले के संबंध में, दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों को आगे निर्धारित किया गया था-ये सिद्धांत भी अपरिवर्तित रहे हैं।

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** यह जहर देकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की हत्या का मामला है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में**,** शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पांच सुनहरे सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और अभी भी उनका पालन किया जाता है।वर्तमान मामले में विचार किए जाने वाले मुद्दों में से एक यह होगा कि क्या साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी थी कि

जी.

एच.

80 ए.

81

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

ताकि कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई परिकल्पना के अलावा कोई अन्य परिकल्पना हो सकती है।जहर देने के मामले के संबंध में**,** इस न्यायालय ने शरद बर्डीचंद सारदा के मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए चार महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ निर्धारित कीं।शरद बर्डीचंद सारदा के मामले में निर्धारित सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और हाल ही में इस न्यायालय ने आपराधिक अपील में **11.08.2022**

बी.

2012 का **No.25,** राम निवास बनाम हरियाणा राज्य**,** इस पर निर्भर है।

स्वीकृति के साथ भी ऐसा ही है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि संदेह**,** चाहे वह कितना भी मजबूत हो**,** उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता है।**[**पारस **35,37-39] [95-G-H; 97-E-F; 98-B]**

सी.

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; राम निवास बनाम हरियाणा राज्य उच्चतम न्यायालय का निर्णय।11.08.2022 2012 की आपराधिक अपील संख्या 25-पर भरोसा किया गया।

डी.

1.2 अभियोजन पक्ष द्वारा यह उद्देश्य स्थापित किया गया कि अपीलार्थी ने रुपये का ऋण लिया था। **1** लाख और एक उच्चारण निष्पादित किया था और साथ ही अपीलार्थी द्वारा रसीद को अस्वीकार कर दिया जाता है।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **313** के तहत उनके बयान में किसी भी धन को उधार लेने और प्रोनोट के निष्पादन से इनकार करने की बात कही गई है। पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-7** की प्रतिपरीक्षा में स्थापित बचाव पक्ष और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **313** के तहत बयान यह था कि सूचना देने वाला समितियों का व्यवसाय कर रहा था जिसमें अपीलार्थी एक सदस्य था और सूचना देने वाले से अपीलार्थी को देय राशि थी।सूचना देने वाले द्वारा समितियों का कामकाज चलाना**;** चूककर्ता होना**;** वित्तीय नुकसान होना स्वीकार किया जाता है।अपीलार्थी के अनुसार**,** राशि सूचना देने वाले से उसे देय थी और उसे सूचना देने वाले से उसी की वसूली से वंचित करने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था।इसलिए**,** गलत निहितार्थ के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता है। उच्चारण पर भरोसा रखा जाता है और रसीद भी उतनी साबित नहीं होती है जितनी मूल प्रस्तुत नहीं की गई थी**,** बल्कि एक झूठी याचिका दायर की गई थी कि इसे सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था**,** जो अपीलार्थी द्वारा दायर पूर्व**-**डी**/1** द्वारा गलत है**,** और दूसरा**,** अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रमाणक गवाह पेश नहीं किया गया था।**[**पैरा **41,42] [98-**डी**-**एफ**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

1.3 अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या दूध में जहरीले यौगिक का मिश्रण अपीलार्थी द्वारा किया गया था या यह किसी और द्वारा किया जा सकता था**,** और इसके लिए दो खिड़कियां हैं।सबसे पहले**,** दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सुबह अपीलार्थी से दूध एकत्र करने के बीच का समय**,** जब तक कि मृतक द्वारा इसका सेवन नहीं किया गया था**,** लगभग पाँच घंटे था।दूसरी बारी लगभग **12** बजे दूध के सेवन के बाद का समय**:30** पीएम उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन**,** अगले दिन तक जब जांच अधिकारी ने दूध और बर्तनों का नमूना बरामद किया और अपने कब्जे में ले लिया**,** जिसमें लगभग **20-24** घंटों का अंतराल था।अपीलार्थी

से दूध एकत्र किए जाने से लेकर नमूने एकत्र किए जाने तक का कुल समय अंतराल **24** घंटे से अधिक है।इस अवधि के दौरान जहर मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।डिफेंस ने इस पहलू पर पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** दोनों से जिरह की थी।अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मृतक की मृत्यु ऑर्गेनोफॉस्फोरस**,** एक जहरीले यौगिक के सेवन के कारण हुई थी या किसी अन्य कारण से हुई थी।ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एक तेज तीखी गंध होती है।इस गंध को सूचना देने वाले**,** उसके बेटे और मृतक को भी महसूस नहीं हो सका।जिस दूध को जहर के साथ मिलाया गया कहा जाता है**,** उसे रेफ्रिजरेटर से निकाला गया**,** उबलाने के लिए एक पैन में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद मृतक को दिया गया।अगर इसमें वास्तव में ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता तो बदबू कमरे में भर जाती।**45** साल की उम्र की एक स्वस्थ महिला होने के नाते मृतक ने इसका सेवन नहीं किया होता अगर दूध से तीखी गंध आ रही होती।यहां तक कि सूचना देने वाले **(**पीडब्लू**-1)** को भी दूध को उबालते समय उसमें से कोई दुर्गंध महसूस नहीं हुई।एक निर्णय का उल्लेख करना सार्थक होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

जयपाल बनाम हरियाणा राज्य में इस न्यायालय का।यह एक मामला था

एफ.

एल्यूमीनियम फॉस्फाइट **(**सल्फा**)** जिसमें एक तेज तीखी गंध भी होती है।यह देखा गया है कि ऐसे यौगिकों का उपयोग आम तौर पर हत्या के मामले में करने के बजाय आत्महत्या के लिए किया जाता है।इसके अलावा**,** डॉ**.** अवतार सिंह **(**पीडब्लू**-4),** जिन्होंने शव परीक्षण किया था**,** ने अपने दोनों बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें शरीर से ऑर्गेनोफॉस्फोरस की कोई गंध नहीं आई।पहला बयान **08.04.2002** पर दर्ज किया गया था और दूसरा बयान **03.11.2003** पर दर्ज किया गया था**,** दोनों बयानों में उन्होंने कहा था कि उन्होंने नाखूनों के रंग में और शरीर में भी कोई बदलाव नहीं देखा था**,** जो विषाक्तता के मामले में एक सामान्य लक्षण होता।उन्होंने यह भी कहा था कि शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं।भले ही ए

जी.

एच.

83

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

वह स्वीकार करते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस द्वारा विषाक्तता के मामले में मांसपेशियों का सिकुड़ना होगा, हालांकि, पेट की बाहरी मांसपेशियों में कोई निचोड़ना या सिकुड़ना नहीं था, जो स्वस्थ थे।उनके अनुसार, शव परीक्षण के दौरान जहर के कोई लक्षण नहीं देखे गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि सभी पुलिस दस्तावेजों में जहर के मामले के बारे में बताया गया था। पीडब्लू-**4** ने यह देखने में सावधानी बरती होगी कि शरीर में जहर के कोई लक्षण मौजूद थे या नहीं।इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई होगी, लेकिन विषाक्तता के कारण नहीं।जहाँ तक रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह चर्चा किए गए कारणों और इसके बाद के लिए नमूनों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो सकता है।**[**पैरा **43,44] [98-**जी-एच**; 99-**ए-एच**; 100-**ए**]**

बी.

सी.

जयपाल बनाम हरियाणा राज्य (2003) 1 एससीसी 169:[2002] 2 पूरक।एस. सी. आर. 714-पर निर्भर।

1.4 दूध, बर्तनों और विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस की उपस्थिति रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक **31.01.2001 (**पूर्व**-PF)** और **05.02.2001 (**पूर्व**-PG)** से साबित होती है।नमूना प्रयोगशाला में **22.09.2000** पर प्राप्त किया गया था, जबकि दो रिपोर्टों के अनुसार, यह सहायक रासायनिक परीक्षक, डॉ. संदीप कक्कड़ द्वारा **22.11.2000** पर एक डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद, सीलबंद रूप में नहीं, बल्कि एक खुले मामले के रूप में प्राप्त किया गया था।यह नोट "यह खुला मामला, मुझे डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद **22.11.2000** पर प्राप्त हुआ।" लगातार "एक्स" वर्णमाला का उपयोग करके एक ओवरराइटिंग/कटिंग के बाद दोनों रिपोर्टों में टाइप किया जाता है।पूर्व पी. एफ. ने उल्लेख किया है कि सीलबंद पार्सल में तीन सीलबंद जार थे जिनमें अंगों के अंग थे।यह पूर्व-पी. एफ. किसी भी चौथे जार का उल्लेख नहीं करता है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डॉ. अवतार सिंह **(**पी. डब्ल्यू.**-4)** के बयान के अनुसार, चार सीलबंद पैकेट भेजे गए थे, जिनमें से तीन में अंगों के अंग थे, और एक में खारा घोल था।परिणाम तीन सीलबंद जार में ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक की उपस्थिति को संदर्भित करता है और यह चौथे जार की सामग्री में पाए जाने वाले किसी भी जहर को भी संदर्भित करता है।चौथे जार का उल्लेख एक्स-पी. एफ. में सामग्री के विवरण में नहीं मिलता है। दूसरी रिपोर्ट, सहायक रसायन परीक्षक के पूर्व-पीजी, डॉ. संदीप कक्कड़, घटना के अगले दिन जांच अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में है, जिसमें दूध, उबला हुआ और बिना उबला हुआ और

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

बर्तन।इसमें भी एक समान कटिंग थी, और एक नोट संलग्न किया गया था कि यह डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद **22.11.2000** पर एक खुले मामले के रूप में प्राप्त हुआ था।परिणाम के रूप में बताया गया है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक सभी प्रदर्शनी संख्या **(i)** से **(vi)** की सामग्री में पाया गया था।रासायनिक परीक्षक की रिपोर्टों के अवलोकन से निम्नलिखित संदेह उत्पन्न होते हैं:आई. उस नमूने को सहायक रासायनिक परीक्षक को नहीं सौंपा गया था, जिन्हें सीलबंद रूप में विश्लेषण करना था।**ii.** काटना, और पार्सल के खुले होने के बारे में एक नया नोट भी संदेह पैदा करता है।**iii.** नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **45,46] [100-**बी**-**एच**]**

बी.

सी.

1.5 जाँच अधिकारी स्वीकार करता है कि उसने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि अपीलार्थी के पास दूध में मिलाया गया जहरीला पदार्थ था या नहीं।नीचे दिए गए न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि हर घर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस उपलब्ध था।यह स्पष्ट है कि सबूतों की श्रृंखला में कई लापता और कमजोर संबंध हैं।परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जहर देने के मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए कोई भी आवश्यक सामग्री नहीं बनाई गई है।इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपराध को घर लाने में विफल रहा है।अभिलेख पर साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है ताकि आई. पी. सी. की धारा **302** के तहत दोषसिद्धि दर्ज की जा सके। दोनों अवर न्यायालयों ने दोषसिद्धि दर्ज करने में त्रुटि की।अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करना दिया जाता है, अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है।वह पहले से ही जमानत पर है।उसकी जमानत बांड रद्द कर दी जाती है और प्रतिभूओं को रिहा कर दिया जाता है।**[**पारस **18,47-49] [101-**ए**-**डी**]**

डी.

ई.

एफ.

संदर्भित निर्णय

[1985] 1 एससीआर **88**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **35**

[2002] 2 पूरक।एससीआर **714**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **44**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 2152।

2005 की आपराधिक अपील संख्या 355-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 29.10.2009 के निर्णय और आदेश से।

एच.

85

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

ए.

सूर्यनारायण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिल कुमार, टी. महिपाल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ**,** जे।

बी.

यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 2 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसमें सत्र न्यायाधीश, बठिंडा दिनांक 1 के फैसले की पुष्टि की गई थी, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता 1860 1 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और जुर्माने का भुगतान न करने पर 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था, ताकि वह तीन महीने के सश्रम कारावास से गुजर सके।2. अभियोजन पक्ष की कहानी 18 सितंबर, 2000 को शाम 7 बजे पुलिस स्टेशन कोटवाली, जिला बठिंडा में जोगिंदर सिंह (मृतक के पीडब्लू-पति) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू होती है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका बेटा गुरशरण सिंह सुबह लगभग 1 बजे राजबीर सिंह

(अपीलार्थी) के घर से 1 किलो दूध लाया, जो पड़ोस में रहता था और डेयरी फार्म का व्यवसाय कर रहा था और अपनी पत्नी शीला की मदद से दूध बेच रहा था।अपीलार्थी शिकायतकर्ता को पड़ोस के निवासी के रूप में जानता था।

सी.

डी.

ई.

अपीलार्थी को भैंस खरीदने और घरेलू जरूरतों के लिए मदद करने के लिए, उसने लगभग 7/8 महीने पहले मुखबिर से 1 लाख रुपये उधार लिए थे।उन्होंने इस संबंध में एक उच्चारण भी निष्पादित किया था।गुरशरण सिंह (पीडब्लू-2) द्वारा लाया गया दूध रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। लगभग 12.30 अपराह्न में उनकी पत्नी कुलदिप कौर @भजनो को भूख लगी और जब वह कुछ बेचैनी के कारण आराम कर रही थीं, तो सूचना देने वाले ने खुद रेफ्रिजरेटर में रखे जग से कुछ दूध निकाला और उसे उबालने के बाद उसे दे दिया।एक बार दूध की चुस्की लेने के बाद, उसने टिप्पणी की कि दूध स्वाद में कड़वा था और आगे चुस्की लेने के बाद, उसने आगे टिप्पणी की कि दूध में कुछ खराबी थी।फिर उसे उस जग में पड़े दूध की बदबू भी आई जिससे तीखी बदबू आ रही थी।इस बीच, उसकी पत्नी को उसके होंठों पर जलन महसूस हुई और वह भी बेचैन हो गई।उन्होंने अपने बेटे गुरशरण सिंह (पीडब्लू-2) को फोन किया, जो अपनी माँ को अपने स्कूटर पर बच्चों और सामान्य अस्पताल ले गया।उन्होंने भी उनका अनुसरण किया।जैसा कि उनकी पत्नी की स्थिति थी

एफ.

जी.

एच.

1 संक्षेप में आई. पी. सी.

तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल, बठिंडा रेफर कर दिया गया, जहां उन्होंने कुछ समय बाद अंतिम सांस ली।उन्होंने अपनी शिकायत में आगे कहा कि उनका दृढ़ विश्वास था कि राजबीर सिंह और उनकी पत्नी शीला ने उनके परिवार को खत्म करने के लिए दूध में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया था।जहरीले दूध के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई।वह और उसकी पत्नी राजबीर सिंह से अपने पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन वह बहाने बना रहा था और इस

दुर्भावना के कारण उसने दूध में जहर डाल दिया और इसलिए एक रिपोर्ट दर्ज की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

बी.

3. डॉ. के. एस. बरार (पीडब्लू-12), चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसकी जांच करने के बाद उसे सिविल अस्पताल भेज दिया और पुलिस को भी सूचना भेज दी।एस. आई. बलवंत सिंह (पीडब्लू-7) जो कैनाल कॉलोनी पुलिस चौकी, बठिंडा के प्रभारी थे, चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल के लिए रवाना हुए और वहाँ से सिविल अस्पताल गए जहाँ डॉक्टर ने उन्हें कुलदिप कौर की मृत्यु के बारे में सूचित किया।वह अस्पताल में जोगिंदर सिंह (पीडब्लू1) से मिले, उन्होंने अपना बयान दिया जो दर्ज किया गया था और जिसे पढ़ने के बाद जोगिंदर सिंह (पीडब्लू1) ने हस्ताक्षर किए थे।एस. आई. बलवंत सिंह (पीडब्लू-7) ने मामला दर्ज करने के लिए उसी (पूर्व-पीए/1) का समर्थन किया।इसके आधार पर औपचारिक एफ. आई. आर. (एक्स-पी. ए./2) दर्ज की गई।

सी.

डी.

4. जाँच रिपोर्ट (एक्स-पी. ई.) जाँच अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी।हेड कांस्टेबल कपूर चंद (पीडब्लू-5) और कांस्टेबल सतपाल (पीडब्लू-10) की हिरासत में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।आवश्यक पुलिस कागजात तैयार किए गए थे।अगले दिन जांच अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, स्थल योजना (एक्स-पीके) तैयार की।उन्होंने जग में पड़े दूध के साथ-साथ गिलास में पड़े उबले हुए दूध का भी नमूना लिया।उन्हें पैक किया गया और सील कर दिया गया।जिन बर्तनों में दूध रखा गया था, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और बरामद की गई सभी वस्तुओं का एक वसूली ज्ञापन (पूर्व प्रधानमंत्री) तैयार किया गया।गवाहों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 2 की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था।केवल अपीलार्थी राजबीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

ई.

एफ.

5. संज्ञान लिया गया।मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। 22.01.2002 पर ट्रायल जज ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप पढ़ा, जिसने इससे इनकार किया, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।इसके बाद मुकदमा चला और पाँच गवाहों से पूछताछ की गई।डॉ. के. एस. बरार, जिन्होंने सबसे पहले चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल में मृतक की जाँच की थी, की जाँच की गई

जी.

एच.

2 इसके बाद "सी. आर. पी. सी". के रूप में संदर्भित

87

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य [विक्रम नाथ, जे.] ए.

ए.

पीडब्लू-1; डॉ. अवतार सिंह, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, की जांच पीडब्लू-2 के रूप में की गई; हेड कांस्टेबल सतपाल, जो शव परीक्षण के लिए शव के साथ गए थे और सीलबंद नमूनों को प्रयोगशाला में ले गए थे, की जांच पीडब्लू-3 के रूप में की गई; हेड कांस्टेबल कपूर चंद, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए लिया था, की जांच पीडब्लू-4 के रूप में की गई और मृतक के बेटे गुरशरण सिंह की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई।

बी.

6. इस स्तर पर, अपीलार्थी की पत्नी शीला देवी को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन भेजा गया था।इसके बाद, दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित धारा 302 के तहत नए आरोप के सहपठित पढ़ा गया।दोनों अभियुक्तों ने आरोप से इनकार किया, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।उन्होंने यह भी कहा कि वे उन सभी गवाहों से जिरह करेंगे जिनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी।

सी.

7. रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि जिन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी, उनसे अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष फिर से पूछताछ की गई थी, हालांकि एक अलग क्रम में।अभियोजन पक्ष द्वारा सभी 12 गवाहों से निम्नलिखित रूप में पूछताछ की गई -

डी.

i. पीडब्लू-1-जोगिंदर सिंह, मुखबिर।

ii.पीडब्लू-2-मृतक का बेटा गुरशरण सिंह।

iii.पीडब्लू-3-मुखबिर के भाई बलविंदर सिंह, प्रो नोट साबित करने के लिए।

ई.

iv.पीडब्लू-4-डॉ. अवतार सिंह, जिन्होंने शव परीक्षण किया।

v. पीडब्लू-5-हेड कांस्टेबल कपूर चंद, जिन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया था।

vi.पीडब्लू-6-हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह, जिनके पास पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के सामान और मृतक के कपड़ों वाला पार्सल जमा किया गया था।

एफ.

vii.पीडब्लू-7-सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, जांच अधिकारी।viii.पीडब्लू-8-सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, जिन्होंने 12.06.2001 पर राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया था।

जी.

ix.पीडब्लू-9-ए. एस. आई. कुलदिप सिंह, जिन्होंने सर्वनाम (पूर्व-पी. बी.) को अपने कब्जे में ले लिया था और सर्वनाम के सीमांत गवाह के बयान भी दर्ज किए थे।

एच.

(इस स्तर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोनों अभियुक्तों का बयान उन्हें सभी आपत्तिजनक सामग्री देकर 10.11.2004 पर दर्ज किया गया था।इसके बाद, तीन और गवाहों से पूछताछ की गई।)x. पीडब्लू-10-हेड कांस्टेबल सतपाल सिंह जो बरामद सामग्री और विसरा को प्रयोगशाला में ले गए थे।

बी.

xi.पीडब्लू-11-सिपाही अमरजीत सिंह, जिन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट दी थी।

xii.पीडब्लू-12-डॉ. के. एस. बरार, जिन्होंने सबसे पहले चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में मृतक की जांच की थी।

उपरोक्त तीन गवाहों से पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों के सामने अतिरिक्त आपत्तिजनक सामग्री रखी गई और उनका पूरक बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत 09.03.2005 पर दर्ज किया गया।8. दोनों अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दो बार पूछताछ की गई और पूरी आपत्तिजनक सामग्री उनके सामने रखी गई।उन्होंने अभियोजन पक्ष के सबूतों से इनकार किया और बेगुनाही का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।उनके द्वारा आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता समितियों का कार्य चला रहा था जिसमें अपीलार्थी भी उक्त समितियों का सदस्य था; कि उसने समितियों के लिए भुगतान किया था, लेकिन समितियों के कुछ सदस्यों ने शेष किश्तों का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उन्हें समितियों से पूरी राशि मिल गई थी; इस कारण से शिकायतकर्ता की वित्तीय

स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी; अपीलार्थी को समितियों की उचित राशि नहीं मिली थी और वह सूचना देने वाले से इसकी मांग कर रहा था; इसी कारण से उसे गलत तरीके से फंसाया गया है ताकि शिकायतकर्ता को उक्त बोझ से छुटकारा मिल सके; मृतक ने अपने परिवार के वित्तीय संकट के कारण आत्महत्या कर ली होगी।अभियुक्त ने बचाव में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया, हालाँकि, उसने सिविल न्यायालय के दिनांकित 22.11.2004 आदेश की एक दस्तावेज़ (पूर्व-D1) प्रति दायर की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

9. जांच अधिकारी द्वारा विसरा के साथ जब्त किए गए दूध और बर्तनों के नमूने रासायनिक जांच के लिए भेजे गए थे।प्रयोगशाला से दो रिपोर्ट प्राप्त हुईं-एक दिनांकित 31.1.2001 (पूर्व-पी. एफ.) और दूसरा दिनांकित 5.2.2001 (पूर्व-पी. जी.) है।10. पूर्व-पी. एफ. के अनुसार, सीलबंद पैकेट में -आई. कहा जाता है कि एक सीलबंद जार में मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों के अंग होते हैं।ii. एक सीलबंद जार में यकृत, प्लीहा और गुर्दे के हिस्से होते हैं; ए

जी.

एच.

iii.कहा जाता है कि एक सीलबंद जार में पेट के साथ बड़ी आंत के हिस्से होते हैं।

11. विश्लेषण में एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक, कीटनाशकों का एक समूह नमूनों (i) से (iii) की सामग्री में पाया गया।नमूने (iv) की सामग्री में कोई जहर नहीं पाया गया।पूर्व-पी. एफ. की रिपोर्ट में नमूने (iv) का कोई उल्लेख नहीं है।शरीर के अंगों के केवल तीन नमूनों का विवरण है। रिपोर्ट में कटौती भी की जा रही है जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

बी.

12. पूर्व पी. जी. में निम्नलिखित छह सीलबंद पार्सल शामिल थेःआई. प्लास्टिक शिशी को विधिवत सील कर दिया गया है जिसमें बिना उबला हुआ दूध होता है;ii. कहा जाता है कि एक सीलबंद प्लास्टिक शीशी में मृतक को दिया गया उबला हुआ दूध था;

सी.

iii.एक सीलबंद प्लास्टिक शीशी में बिना उबले दूध से लिया गया दूध होता है;

डी.

iv.दूध से सना हुआ कांच के साथ एक सीलबंद स्टील का जग खाली; v. एक सीलबंद डोलू और कांच;

vi.एक एल्यूमीनियम फ्राइंग पैन।

इस रिपोर्ट में भी पूर्व-पी. एफ. के समान प्रकृति की कटौती की गई है। विश्लेषण का परिणाम एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक, कीटनाशकों का एक समूह था, जो नमूनों (i) से (vi) की सामग्री में पाया गया था।

ई.

13. दोनों रिपोर्टों में पूर्व-पी. एफ. और पूर्व-पी. जी. का उल्लेख है कि हस्ताक्षरकर्ता को डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद 22.11.2000 पर खुला मामला प्राप्त हुआ था।

एफ.

14. इस स्तर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (एक्स-पीडी) के अनुसार यह 19.09.2000 पर 11.10 AM पर किया गया था। मृत्यु के कारण के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया था कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।मृतक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं देखी गई।शरीर के अंदर के सभी अंग स्वस्थ बताए गए।यह भी बताया गया कि मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच का संभावित समय 24 घंटे के भीतर समाप्त हो गया था।विसरा को सुरक्षित रखा गया और पुलिस को सौंप दिया गया।

जी.

15. विचारण न्यायालय ने दिनांकित 08.04.2005 के फैसले के माध्यम से पाया कि जहर से मौत को साबित करने वाले सभी तत्व मौजूद थे और

एच.

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित किया गया था।इसने यह भी पाया कि अपीलार्थी की पत्नी शीला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और तदनुसार उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर

दिया।हालाँकि, साक्ष्य ने अपीलार्थी के खिलाफ हत्या के आरोप को स्थापित किया और उसे आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया। विचारण न्यायालय ने अपराध को दुर्लभतम मामलों के दायरे में नहीं पाया और तदनुसार उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया और इसके उल्लंघन में तीन महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

बी.

16. अपीलार्थी ने आपराधिक अपील No.355/2005 के रूप में पंजीकृत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर, 2009 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं पाई और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया।इसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

सी.

17. विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई थी।दोनों अदालतों के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने सूचना देने वाले के बेटे को आपूर्ति किए गए दूध में जहर मिलाने के अपीलार्थी के खिलाफ आरोप को पूरी तरह से स्थापित कर दिया था, और मृतक द्वारा इसका सेवन करने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी।निष्कर्ष यह है कि उक्त अपराध करने का एक उद्देश्य था ताकि अपीलार्थी को 5 लाख रुपये का ऋण लौटाने से बचाया जा सके। मुखबिर से 1 लाख लिया गया।मृतक द्वारा सेवन किए गए उबले हुए दूध के रासायनिक विश्लेषण, बिना उबले हुए दूध, पात्र (डोलू) जिसमें दूध रखा गया था और जिस गिलास में दूध दिया गया था, सभी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जहरीला पदार्थ था।दूसरी रासायनिक रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि विश्लेषण के लिए भेजे गए मृतक के अंगों (विसरा) के हिस्सों में एक ही पदार्थ ऑर्गेनोफॉस्फोरस था।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (पूर्व-पी. एफ. और पी. जी.) पर भरोसा किया।

डी.

ई.

एफ.

18. पक्षकारसभक लेल विद्वान अधिवक्ताक द्वारा देल गेल निवेदनसभ पर विचार कयलाक बाद आ न केवल अपीलक अभिलेख पर सामग्री बल्कि विचारणक मूल रिकॉर्ड पर सेहो ध्यान देलाक बाद, हमर विचार अछि जे नीचा देल गेल दुनू अवर न्यायालयों बादक विस्तृत कारणसभक लेल दोषसिद्धि दर्ज करबामे त्रुटि कयलक अछि।

जी.

19. हम सबसे पहले अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।20. पीडब्लू-1 जोगिंदर सिंह ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया जैसा कि उन्होंने सुनाया था।उन्होंने अपने आवास से बरामद दूध और बर्तनों का विवरण भी दिया है। उसकी प्रतिपरीक्षा में उसके पास ए है

एच.

91

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य [विक्रम नाथ, जे.] ए.

उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन समितियों का संचालन कर रहे थे जिनमें अपीलार्थी पाँच समितियों का सदस्य था।समितियों के सदस्यों ने किश्तों का भुगतान किया।अपीलार्थी राजबीर सिंह समितियों को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रहा था; कि वह समितियों के संबंध में रिकॉर्ड नहीं रख रहा था।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कथित उच्चारण और रसीद को समितियों के खाते के संबंध में निष्पादित किया गया था।उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने गिलास या जग में दूध सूंघी, तो उन्हें दूध और दोनों बर्तनों की गंध में कोई अंतर नहीं मिला। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने घर में चूहे मारने वाला जहर रखा था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि समिति के कुछ सदस्य जिन्हें समिति की राशि मिली थी, वे चूककर्ता बन गए थे और उन्होंने समितियों को देय राशि का भुगतान नहीं किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हैं।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी पत्नी के साथ कोई झगड़ा हुआ था और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वित्तीय संकट और पति-पत्नी के बीच झगड़े के तथ्यों ने आत्महत्या कर ली थी।उन्हें यह भी बताया गया कि सर्वनाम के गवाह कालियावली मंडी के निवासी थे, जहाँ वे पहले रहते थे।उन्होंने स्वीकार किया कि उच्चारण और रसीद उस इलाके के किसी भी निवासी से सत्यापित नहीं की गई थी जहां वे और अपीलार्थी उच्चारण के निष्पादन के समय रह रहे थे।उन्हें यह भी सुझाव दिया गया था कि उच्चारण और रसीद के गवाह राजबीर सिंह को नहीं जानते थे। वह कहता है कि उसकी पत्नी को दोनों अस्पतालों में उल्टी नहीं हुई थी और उसे चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल में केवल एक हरकत हुई थी।उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु जहर के कारण नहीं हुई थी, बल्कि तनाव और तनाव के कारण हुई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

21. मृतक के बेटे पीडब्लू-2 गुरशरण सिंह ने भी अपनी जाँच में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है।अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया है कि राजबीर सिंह उनके पिता द्वारा संचालित समितियों के सदस्य थे।उनका सामना पूर्व-डी. ए. में दर्ज उनके बयान से हुआ कि उन्होंने कहा था कि उनके पिता पर समितियों के संबंध में राजबीर सिंह का पैसा बकाया था और उन्होंने 1 लाख रुपये का भुगतान किया था।हालाँकि, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले को दोहराया कि राजबीर सिंह (अपीलार्थी) ने अपने पिता से 1 लाख रुपये प्राप्त किए थे और उच्चारण को निष्पादित किया था।इसके बाद उनका सामना पूर्व-डी. ए. के बयान से किया गया, जिसमें उन्होंने शीला द्वारा उनसे एक जग लेने का उल्लेख नहीं किया था, दोनों आरोपी कमरे के अंदर थे और फिर अपीलार्थी जग के साथ बाहर आया और उसे सौंप दिया।उन्होंने कहा कि उन्होंने यह तथ्य पुलिस के समक्ष पूर्व-डी. ए. के बयान में दर्ज किया था, लेकिन यह दर्ज नहीं किया गया था।उन्होंने चूहों को मारने के लिए अपने घर में जहर रखने से भी इनकार किया।फिर वह स्वीकार करता है कि कुछ

एफ.

जी.

एच.

समितियों के सदस्यों ने समितियों की राशि ले ली थी और उनके पिता को राशि वापस नहीं की थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समितियों के अन्य सदस्य जो नियमित रूप से किश्तों का भुगतान कर रहे थे, वे उनके पिता से राशि की मांग कर रहे थे।उन्हें यह भी बताया गया कि वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे; कि आर्थिक समस्याओं के कारण उनके पिता और मां के बीच झगड़ा होता था और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी।उन्होंने तीनों सुझावों को अस्वीकार कर दिया।

बी.

22. सर्वनाम को पीडब्लू-3 बलविंदर सिंह द्वारा साबित किया गया है, जो सूचना देने वाले का असली भाई है।वह स्वीकार करता है कि उसने मूल उच्चारण और रसीद कभी नहीं देखी थी।

सी.

23. पीडब्लू-4 डॉ. अवतार सिंह ने शव परीक्षण किया था।उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उसकी सामग्री को साबित किया।उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने चार जार तैयार किए थे जिनमें

से तीन जार में विसरा होता है और चौथे जार में संतृप्त खारा होता है।उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शव परीक्षण से पहले सभी पुलिस कागजात मिल गए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि रासायनिक परीक्षक पूर्व-पी. एफ. की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि मृत्यु का कारण विसरा में पाए गए जहरीले यौगिक के कारण था।अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि जहर के मामले में नाखून का रंग नीला हो जाता है और शरीर का रंग भी नीला हो जाता है।उन्होंने कहा कि शव नीला नहीं था और इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि शेष विसरा का जहर दुर्गंध देता है।उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने दुर्गंध देखी या महसूस की, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो ऐसी गंध देखी और न ही पोस्टमार्टम करते समय उन्हें दुर्गंध महसूस हुई।उन्होंने यह भी कहा कि पेट खोलने पर अगर यह ऑर्गेनोफॉस्फोरस जहर का मामला है तो दुर्गंध आएगी।उन्होंने आगे कहा कि पेट खोलने के बाद उन्हें कोई दुर्गंध नहीं आई और इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया।फिर उन्हें सुझाव दिया गया कि क्या जहर के मामले में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे उन्होंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें जहर के लक्षण नहीं दिखाई दिए और इस कारण से उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया।उन्होंने आगे कहा कि अगर दूध में ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जहर डाला जाता है तो यह उस व्यक्ति को भी गंध देगा जो उस बर्तन से कुछ दूरी पर खड़ा है जिसमें इस तरह के जहर वाला दूध रखा जाता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

24. पीडब्लू-5 हेड कांस्टेबल कपूर चंद एक औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया था और उन्होंने अपने हलफनामे (पूर्व-पीएच) की सामग्री की पुष्टि की थी।

एच.

ए.

25. पीडब्लू-6 हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह भी एक औपचारिक गवाह हैं जिनके पास पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की वस्तुएं और मृतक के कपड़ों वाला पार्सल जमा किया गया था।उन्होंने अपने हलफनामे (पूर्व-पी. जे.) की सामग्री की पुष्टि की।

26. पीडब्लू-7 उप-निरीक्षक, बलविंदर सिंह जाँच अधिकारी हैं।उन्होंने कहा कि उन्हें चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल से जहर के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वह वहां गए और बाद में सिविल अस्पताल गए, जहां मृतक को स्थानांतरित कर दिया गया था।सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कुलदिप कौर की पहले ही मौत हो चुकी है।वहाँ उन्होंने मुखबिर का बयान दर्ज किया, उस पर अपने हस्ताक्षर कराए और खुद मामला दर्ज करने के लिए समर्थन किया (पूर्व-पीए/1) जिसे उन्होंने विधिवत साबित किया और एएसआई हरबंस सिंह द्वारा दर्ज औपचारिक प्राथमिकी (पूर्व-पीए/2) को भी साबित किया।इसके बाद उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए हेड कांस्टेबल-कानपुर चंद (पीडब्लू-5) और कांस्टेबल सतपाल (पीडब्लू-10) की हिरासत में अनुरोध ज्ञापन (पूर्व-पीडी) के साथ भेज दिया।इसके बाद वह कहता है कि अगले दिन वह मृतक के घर गया और रफ साइट प्लान (एक्स-पीके) तैयार किया।उन्होंने बर्तन और दूध एकत्र किया और वसूली ज्ञापन (एक्स-पी. एल.) तैयार किया।इसके बाद, वह सिविल अस्पताल गए, जहाँ कांस्टेबल सतपाल ने उन्हें शव परीक्षण के लिए पीडब्लू-4 द्वारा दिए गए अन्य कागजात और पीडब्लू-4 द्वारा लौटाए गए अन्य सामान और कपड़े सौंप दिए।उन्होंने मामले की संपत्ति हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह के पास पुलिस स्टेशन कोटवाली में जमा कर दी।जाँच अधिकारी अपनी प्रतिपरीक्षा में कहता है कि वह उसी दिन अपीलार्थी राजबीर सिंह के घर की तलाशी के लिए नहीं गया था, बल्कि बाद में वहाँ गया था।उनका कहना है कि उन्हें अपीलार्थी के घर में कोई पात्र नहीं मिला।वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने अपीलार्थी द्वारा जहर की खरीद के संबंध में जांच नहीं की थी।वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने मुखबिर के घर की कोई तलाशी नहीं ली थी।फिर वह कहता है कि गुरशरण सिंह (पीडब्लू-2) ने राजबीर के साथ शीला की उपस्थिति नहीं बताई थी और उन्होंने कंटेनर को कमरे के अंदर ले गए थे और उन दोनों ने दूध डाला था।फिर वह कहता है कि वह यह नहीं कह सकता कि 18 से 19 सितंबर की बीच की अवधि के दौरान कोई दूध के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं।यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जांच अधिकारी का कहना है कि जब वह सूचना देने वाले के घर गया तो जब उसकी उपस्थिति में 19.09.2000 पर दूध उबला गया था, तो इससे काफी हद तक दुर्गंध निकल रही थी।उन्होंने यह भी कहा कि दो गवाहों मंजीत सिंह और हरबंस सिंह (बरामदगी के गवाह) ने भी कहा कि वहां काफी हद तक तीखी गंध थी।उन्होंने यह भी कहा कि कई

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अन्य लोग राजबीर सिंह से दूध खरीद रहे थे लेकिन उनमें से किसी ने भी दूध की गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं की थी।वह यह भी कहता है कि उसने जाँच के दौरान राजबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था।हालाँकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने राजबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने उन्हें यह नहीं बताया कि मृतक को उल्टी हुई थी या उसे दस्त हो रहे थे।

बी.

27. अभि. साक्षी 8 के सब-इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने 12.06.2001 पर अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था।

28. पीडब्लू-9 एएसआई कुलदिप सिंह ने कहा कि उन्होंने 16.07.2001 पर उच्चारण ('एक्स' चिह्नित) को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने सीमांत गवाहों के बयान दर्ज किए थे।प्रतिपरीक्षा में वह कहता है कि उसने मूल उच्चारण और रसीद नहीं देखी थी; कि उसे पता नहीं था कि भुगतान वास्तव में किया गया था या नहीं।

सी.

29. पीडब्लू-10 सतपाल शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे और बरामद किए गए बर्तनों और दूध के विसरा और पार्सल को रासायनिक प्रयोगशाला में पहुंचा दिया था।अपनी जिरह में उन्होंने कहा था कि उन्हें याद नहीं है कि पार्सल पर कितनी मुहरें लगाई गई थीं।वह आगे कहता है कि पार्सल 21.09.2000 पर 10-11 AM पर प्राप्त हुआ था जिसे उसने अपने पास रखा था।रात में इसे पुलिस स्टेशन में रखा गया था और वह रात भर पुलिस स्टेशन में रहा था।यह 22.09.2000 पर था कि पार्सल प्रयोगशाला में वितरित किए गए थे।30. पीडब्लू-11 के सिपाही परमजीत सिंह ने कहा है कि उन्हें रात 9.15 बजे एक विशेष रिपोर्ट मिली और अगली सुबह उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, बठिंडा को विशेष रिपोर्ट दी।31. पीडब्लू-12 डॉ. K.S.Brar को संबंधित तिथि पर बाल और सामान्य अस्पताल, बठिंडा में एक आपातकालीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।उनका कहना है कि उक्त दिन मृतक जहर देने के संदिग्ध मामले के साथ अस्पताल आया था।उसने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिविल अस्पताल भेज दिया।जिरह में उन्होंने कहा था कि रोगी के मुंह से फॉस्जीन गैस की गंध आ रही थी और उन्होंने रोगी को

एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के बारे में इलाज कराया था।वह आगे कहता है कि रोगी को उल्टी हो रही थी लेकिन उसे याद नहीं था कि उसे दस्त हुआ था या नहीं।उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि मृतक को कभी भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था और वह पुलिस के कहने पर देरी को छिपाने के लिए झूठी गवाही दे रहा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

95

राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य [विक्रम नाथ, जे.] ए.

ए.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें रोगी के आने के समय उसके शरीर के तापमान के बारे में पता नहीं था।उन्होंने ओ. पी. डी. रजिस्टर भी पेश नहीं किया क्योंकि उसे तलब नहीं किया गया था।

32. यह ध्यान देने योग्य होगा कि पी. डब्ल्यू. 10,11 और 12 की जाँच अभियोजन पक्ष द्वारा आई. डी. 1 पर अपने साक्ष्य को बंद करने के बाद की गई थी और आई. डी. 2 पर सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत दोनों अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए थे।

बी.

33. विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ी कि अपीलार्थी ने उद्देश्य पर चर्चा करते हुए उच्चारण के निष्पादन से इनकार नहीं किया था।यह तथ्य स्पष्ट रूप से उतना सही नहीं है जितना कि अपीलार्थी ने 10.11.2004 पर दर्ज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में विशेष रूप से न केवल धन उधार लेने से इनकार किया था, बल्कि यह भी कि उसने कभी भी उच्चारण को निष्पादित नहीं किया था।प्रश्न के रूप में तैयार किया गया और उत्तर नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

सी.

“क्यू:यह आपके खिलाफ सबूत है कि आपने रुपये की राशि उधार ली थी। पीडब्लू-5 गुरशरण सिंह के पिता से एक लाख और 01.01.2000 पर उसी के लिए एक उच्चारण और रसीद निष्पादित की थी।अभि. साक्षी गुरशरण सिंह आपसे राशि की मांग कर रहे थे और मामले को

रख रहे थे और 18.09.2000 पर राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए।आपको इसके बारे में क्या कहना है?

डी.

एः यह मेरे खिलाफ झूठा सबूत है।मैंने कभी भी उक्त राशि उधार नहीं ली थी और मैंने कभी भी उक्त उच्चारण को निष्पादित नहीं किया था।"

ई.

34. इसके अलावा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी से दूध एकत्र करने के कथित समय से लेकर इसे दिए जाने तक और आगे नमूने एकत्र किए जाने तक के समय अंतराल को ध्यान में नहीं रखा।इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. अवतार सिंह के बयान को भी कोई महत्व नहीं दिया।यौगिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस के उपयोग का एक नरघातक उद्देश्य है क्योंकि इसकी अत्यंत तीव्र तीखी गंध पर भी विचारण न्यायालय द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय का निर्णय गुप्त था और साक्ष्य को केवल संक्षिप्त रूप से निपटाया गया था।

एफ.

जी.

35. यह जहर देकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की हत्या का मामला है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, पांच सुनहरे सिद्धांत रखे गए हैं

इस न्यायालय द्वारा शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम राज्य के मामले में।

महाराष्ट्र का **3,** जैसा कि रिपोर्ट के पैराग्राफ **153** में कहा गया है**,** इस प्रकार हैः

एच.

3 (1984) 4 एससीसी 116

"इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

बी.

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं।'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्र बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था।महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793, जहाँ निम्नलिखित अवलोकन किए गए थेः

सी.

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

डी.

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

ई.

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

एफ.

36. उपरोक्त पाँच सिद्धांतों को निर्धारित करने से पहले**,** न्यायमूर्ति फजल अली ने पैराग्राफ **152** में न्यायालय की ओर से बोलते हुए हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले से एक पैराग्राफ निकाला**,** जैसा कि महाजन**,** जे**.** पैराग्राफ **152** द्वारा कहा गया है।

जी.

"उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो ए पर आधारित हैं।

एच.

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य।इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 है।इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में बाद के फैसलों में लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एस. सी. सी. 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1972) 4 एस. सी. सी. 625 के मामले।जे. महाजन ने हनुमंत के मामले (ऊपर) में जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता हैः

बी.

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।""

सी.

डी.

37. ये सुनहरे सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और अभी भी इनका पालन किया जाता है।वर्तमान मामले में विचार किए जाने वाले मुद्दों में से एक यह होगा कि क्या साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण थी कि कोई उचित आधार न छोड़े कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिकल्पना के अलावा कोई अन्य परिकल्पना हो सकती है।

ई.

38. जहर के मामले के संबंध में, इस न्यायालय के मामले में

एफ.

शरद बर्डीचंद सारदा (ऊपर) ने आगे चार महत्वपूर्ण बातें निर्धारित कीं।

पैराग्राफ 165 में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए परिस्थितियाँ जो यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैंः

“165. जहाँ तक इस मामले का संबंध है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्कैन करना चाहिए और चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जो केवल एक दोषसिद्धि को उचित ठहरा सकते हैंः

जी.

(1) मृतक को जहर देने का आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य है,

(2) कहा जाता है कि मृतक की मौत जहर देने से हुई,

एच.

(3) कि आरोपी के पास जहर था,

(4) कि उसे मृतक को जहर देने का अवसर मिला।”

39. शरद बर्डीचंद सारदा **(**उपरोक्त**)** के मामले में निर्धारित सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और हाल ही में **2012** की आपराधिक अपील में इस न्यायालय ने राम निवास बनाम हरियाणा राज्य ने अनुमोदन के साथ इस पर भरोसा किया है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि संदेह**,** चाहे वह कितना भी मजबूत हो**,** उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता है।

बी.

40. उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में अब हम साक्ष्य का विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं।

सी.

41. अभियोजन पक्ष द्वारा यह उद्देश्य स्थापित किया गया कि अपीलार्थी ने रुपये का ऋण लिया था। 1 लाख और एक उच्चारण निष्पादित किया था और साथ ही अपीलार्थी द्वारा रसीद को अस्वीकार कर दिया जाता है।सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत उनके बयान में किसी भी धन को उधार लेने और प्रोनोट के निष्पादन से इनकार करने की बात कही गई है। पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-7 की प्रतिपरीक्षा में स्थापित बचाव पक्ष और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान यह था कि सूचना देने वाला समितियों का व्यवसाय कर रहा था जिसमें अपीलार्थी एक सदस्य था और सूचना देने वाले से अपीलार्थी को देय राशि थी।सूचना देने वाले द्वारा समितियों का कामकाज चलाना; चूककर्ता होना; वित्तीय

नुकसान होना स्वीकार किया जाता है।अपीलार्थी के अनुसार, राशि सूचना देने वाले से उसे देय थी और उसे सूचना देने वाले से उसी की वसूली से वंचित करने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था।इसलिए, गलत निहितार्थ के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

42. उच्चारण पर भरोसा रखा जाता है और रसीद भी उतनी साबित नहीं होती है जितनी मूल प्रस्तुत नहीं की गई थी, बल्कि एक झूठी याचिका दायर की गई थी कि इसे सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो अपीलार्थी द्वारा दायर पूर्व-डी/1 द्वारा गलत है, और दूसरा, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रमाणक गवाह पेश नहीं किया गया था।

एफ.

43. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या दूध में जहरीले यौगिक का मिश्रण अपीलार्थी द्वारा किया गया था या यह किसी और द्वारा किया जा सकता था, और इसके लिए दो खिड़कियां हैं।सबसे पहले, दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सुबह अपीलार्थी से दूध एकत्र करने के बीच का समय, जब तक कि मृतक द्वारा इसका सेवन नहीं किया गया था, लगभग पाँच घंटे था। दूसरी बारी लगभग 12 बजे दूध के सेवन के बाद का समयः30 दुर्भाग्यपूर्ण ए पर पीएम

जी.

एच.

अगले दिन तक जब जांच अधिकारी ने दूध और बर्तनों के नमूने बरामद किए और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें लगभग 20-24 घंटों का अंतराल था।अपीलार्थी से दूध एकत्र किए जाने से लेकर नमूने एकत्र किए जाने तक का कुल समय अंतराल 24 घंटे से अधिक है।इस अवधि के दौरान जहर मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।डिफेंस ने इस पहलू पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 दोनों से जिरह की थी।

बी.

44. अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मृतक की मृत्यु ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक जहरीले यौगिक के सेवन के कारण हुई थी या किसी अन्य कारण से हुई थी।ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एक तेज तीखी गंध होती है।इस गंध को सूचना देने वाले, उसके बेटे और मृतक को भी महसूस नहीं हो सका।जिस दूध को जहर के साथ मिलाया गया कहा जाता है, उसे रेफ्रिजरेटर से निकाला गया, उबलाने के लिए एक पैन में स्थानांतरित किया गया और उसके

बाद मृतक को दिया गया।अगर इसमें वास्तव में ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता तो बदबू कमरे में भर जाती।45 साल की उम्र की एक स्वस्थ महिला होने के नाते मृतक ने इसका सेवन नहीं किया होता अगर दूध से तीखी गंध आ रही होती।यहाँ तक कि सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) को भी दूध को उबालते समय उसमें से कोई दुर्गंध महसूस नहीं हुई।जयपाल बनाम हरियाणा राज्य 4 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना सार्थक होगा।यह एल्यूमीनियम फॉस्फाइट (सल्फा) का एक मामला था जिसमें एक तेज तीखी गंध भी होती है।यह देखा गया है कि ऐसे यौगिकों का उपयोग आम तौर पर हत्या के मामले में करने के बजाय आत्महत्या के लिए किया जाता है।इसके अलावा, डॉ. अवतार सिंह (पीडब्लू-4), जिन्होंने शव परीक्षण किया था, ने अपने दोनों बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें शरीर से ऑर्गेनोफॉस्फोरस की कोई गंध नहीं आई।पहला बयान 08.04.2002 पर दर्ज किया गया था और दूसरा बयान 03.11.2003 पर दर्ज किया गया था, दोनों बयानों में उन्होंने कहा था कि उन्होंने नाखूनों के रंग में और शरीर में भी कोई बदलाव नहीं देखा था, जो विषाक्तता के मामले में एक सामान्य लक्षण होता।उन्होंने यह भी कहा था कि शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं।भले ही वह ऑर्गेनोफॉस्फोरस द्वारा विषाक्तता के मामले में स्वीकार करते हैं कि मांसपेशियों में सिकुड़न होगी, हालांकि, पेट की बाहरी मांसपेशियों में कोई निचोड़ या सिकुड़न नहीं थी, जो स्वस्थ थीं।उनके अनुसार, शव परीक्षण के दौरान जहर के कोई लक्षण नहीं देखे गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि सभी पुलिस दस्तावेजों में जहर के मामले के बारे में बताया गया था।पीडब्लू-4 ने यह देखने में सावधानी बरती होगी कि शरीर में जहर के कोई लक्षण मौजूद थे या नहीं।इससे यह अनुमान लग सकता है कि मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई होगी लेकिन

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

4 (2003) 1 एससीसी 169

एच.

जहर नहीं।जहाँ तक रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह ऊपर और इसके बाद चर्चा किए गए कारणों से नमूनों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो सकता है।

45. दूध, बर्तनों और विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस की उपस्थिति रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 31.01.2001 (पूर्व-PF) और 05.02.2001 (पूर्व-PG) से साबित होती है।नमूना प्रयोगशाला में 22.09.2000 पर प्राप्त किया गया था, जबकि दो रिपोर्टों के अनुसार, यह सहायक रासायनिक परीक्षक, डॉ. संदीप कक्कड़ द्वारा 22.11.2000 पर एक डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद, सीलबंद रूप में नहीं, बल्कि एक खुले मामले के रूप में प्राप्त किया गया था।यह नोट "यह खुला मामला, मुझे डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद 22.11.2000 पर प्राप्त हुआ।" "एक्स" वर्णमाला का लगातार उपयोग करके एक ओवरराइटिंग/कटिंग के बाद दोनों रिपोर्टों में टाइप किया जाता है।पूर्व पी. एफ. ने उल्लेख किया है कि सीलबंद पार्सल में तीन सीलबंद जार थे जिनमें अंगों के अंग थे।इस पूर्व-पी. एफ. में किसी भी चौथे जार का उल्लेख नहीं है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डॉ. अवतार सिंह (पी. डब्ल्यू.-4) के बयान के अनुसार, चार सीलबंद पैकेट भेजे गए थे, जिनमें से तीन में अंगों के हिस्से थे, और एक में खारा घोल था।परिणाम तीन सीलबंद जार में ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक की उपस्थिति को संदर्भित करता है और यह चौथे जार की सामग्री में पाए जाने वाले किसी भी जहर को भी संदर्भित करता है।चौथे जार का उल्लेख एक्स-पी. एफ. में सामग्री के विवरण में नहीं मिलता है। दूसरी रिपोर्ट, सहायक रसायन परीक्षक के पूर्व-पीजी, डॉ. संदीप कक्कड़, घटना के अगले दिन जांच अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में है, जिसमें दूध, उबला हुआ और बिना उबला हुआ और बर्तन शामिल थे।इसमें भी एक समान कटिंग थी, और एक नोट संलग्न किया गया था कि यह डॉ. ओ. पी. गोयल से उनके निलंबन के बाद 22.11.2000 पर एक खुले मामले के रूप में प्राप्त हुआ था।परिणाम के रूप में बताया गया है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक सभी प्रदर्शनी संख्या (i) से (vi) की सामग्री में पाया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

46. रासायनिक परीक्षक की रिपोर्टों के अवलोकन से निम्नलिखित संदेह उत्पन्न होते हैं:

आई. उस नमूने को सहायक रासायनिक परीक्षक को नहीं सौंपा गया था, जिन्हें सीलबंद रूप में विश्लेषण करना था।ii. काटना, और पार्सल के खुले होने के बारे में एक नया नोट भी संदेह पैदा करता है।

जी.

iii.नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

एच.

ए.

47. जाँच अधिकारी स्वीकार करता है कि उसने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि अपीलार्थी के पास दूध में मिलाया गया जहरीला पदार्थ था या नहीं।नीचे दिए गए न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि हर घर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस उपलब्ध था।

48. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि साक्ष्यों की श्रृंखला में कई लापता और कमजोर संबंध हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जहर देने के मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए कोई भी आवश्यक सामग्री नहीं बनाई गई है।इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपराध को घर लाने में विफल रहा है।

बी.

49. अभिलेख पर साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, हमारा दृढ़ विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है ताकि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की जा सके। अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के फैसलों को अपास्त करना दिया जाता है, अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है।वह पहले से ही जमानत पर है।उसकी जमानत बांड रद्द कर दी जाती है और प्रतिभूओं को रिहा कर दिया जाता है।

सी.

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.